प्रेस विज्ञप्ति

28.02.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा, अंजुना शाखा से सार्वजनिक धन के गबन से जुड़े बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 78 लाख रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।

ईडी ने गोवा पुलिस, पणजी (जिसे बाद में क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया) की आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओसी) द्वारा उदित नारायण (तत्कालीन शाखा प्रबंधक) और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। आरोपियों पर आरोप था कि उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा और उसके ग्राहकों को धोखा देने के लिए आपराधिक साजिश रची और बिना किसी आदेश या प्राधिकार के वास्तविक ग्राहकों के खातों से अवैध रूप से धनराशि निकाली।

ईडी की जांच में पता चला कि उदित नारायण ने शाखा प्रबंधक के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए, भोले-भाले ग्राहकों, जिनमें कम्यूनिडाड ऑफ अंजुना और अन्य निष्क्रिय खाते शामिल थे, के खातों से धोखाधड़ी करके सुनियोजित रूप से धन निकाला। गबन किए गए धन को उनके सहयोगियों के 'म्यूल' बैंक खातों के माध्यम से ट्रांसफर किया गया, जिन्होंने धन के अवैध स्रोत को छिपाने के लिए स्वेच्छा से बिचौलिए का काम किया। जांच के अनुसार, इन अनधिकृत हस्तांतरणों को अंजाम देने के लिए जाली हस्ताक्षर और बेनामी सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया था।

कुर्क की गई संपत्तियों में पोंडा स्थित 'सदाशिव प्लाजा' में एक व्यावसायिक दुकान; अंजुना में एक भूखंड; पोंडा स्थित 'कीर्ति रेजिडेंसी' में एक आवासीय फ्लैट; और उदित नारायण के नाम पर बैंक खाते में जमा राशि शामिल है। ये अचल संपत्तियां बिचौलियों के नाम पर हैं और इन्हें इसलिए कुर्क किया गया है क्योंकि इनका मूल्य अनुसूचित अपराध से प्राप्त अपराध की आय के बराबर है।

इस मामले में अपराध की कुल आय 2.34 करोड़ रुपये आंकी गई है।
